

असाधारण

EXTRAORDINARY

भागा।—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHEDBYAUTHORITY**

सं. 2048| No. 2048] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2013/भाद्र 11, 1935

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2013/BHADRA 11, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर,2013

आय-कर

का.आ. 2659(अ) ---केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 195 की उप-धारा (6) और धारा 192, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ख, धारा 194ढख, धारा 194ढख, धारा 194ढग, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विमाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचना सं. 2363(अ), तारीख 5 अगस्त, 2013 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :---

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (14वां संशोधन) नियम, 2013 है ।
 - (2) ये 1 अक्तूबर, 2013 से प्रवृत्त होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 37खख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :---

"किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को कोई संदाय जिसके अंतर्गत कोई ब्याज या वेतन या कर को प्रभार्य कोई रकम भी है करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जानकारी देना:—

37खख (1) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी ब्याज या वेतन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर को प्रभार्य कोई अन्य रकम या कोई संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात्:—

(1)

3791 GI/2013

(i)प्ररूप सं. 15गक के भाग क में जानकारी, यदि संदाय की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संदायों का योग दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है;

- (ii) निम्नलिखित प्राप्त करने के पश्चात् खंड (i) में निर्दिष्ट संदायों से भिन्न संदायों के लिए प्ररूप सं. 15गक के भाग ख में जानकारा:—
 - (क) धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से प्ररूप सं. 15गख में प्रमाण-पत्र; या
 - (ख) धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाण-पत्र; या
- (ग) धार 195 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी से किसी आदेश को, प्राप्त करने के पश्चात् देगा ।
 - (2) प्ररूप सं. 15गक में जानकारी आयकर विभाग द्वारा अभिहित वेबसाइट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और तत्पश्चात् उक्त प्ररूप का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट संदाय प्रेषित करने से पूर्व प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।
 - (3) आयकर प्राधिकारी प्राधिकृत व्यौहारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट हस्ताक्षरित प्रिंट आउट प्रस्तुत करे ।
 - (4) आयकर (प्रणाली) महानिदेशक, आंकड़ों को सुरक्षित रखने, उनके पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं प्ररूपों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और विनिर्दिष्ट रीति में जानकारी देने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होग: ।

स्पष्टीकरण 1:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'प्राधिकृत व्यौहारी' से जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2:---शंकाओं के निवारण के लिए, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे विनिर्दिट सूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के संदायों के लिए, उप-नियम (1) के अधीन जानकारी देने की अपेक्षा नहीं होगी ।

विनिर्दिष्ट सूची

क्रम सं.	भारतीय रिजर्व	संदाय की प्रकृति
	बैंक के अनुसार	111 11 72/11
	प्रस्तावित कोड	
(1)	(2)	(3)
1.	एस0001	भारतीय विदेशी विनिधान-साम्यापूंजी (अंश)में
2.	एस0002	भारतीय विदेशी विनिधान-ऋण प्रतिभूतियों में
3.	एस0003	भारतीय विदेशी विनिधान-शाखाओं और संपूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन समनुषंगियों में
4.	एस0004	भारतीय विदेशी विनिधान-समनुषंगियों और सहयुक्तों में
5.	एस0005	भारतीय विदेशी विनिधान-भू संपदा में
6.	एस0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण
7.	एस0202	विदेश में कार्य कर रही भारतीय पोत कंपनियों के प्रचालित व्ययों के लिए संदाय
8.	एस0208	विदेश में कार्य कर रही भारतीय एयरलाइन कंपनियों के प्रचालन व्यय
9.	एस0212	विदेशी यात्रा की बुकिंग-एयरलाइन कंपनियां
10.	एस0301	कारबार यात्रा के मद्दे प्रेषण
11.	एस0302	आधार यात्रा कोटा के अधीन यात्रा
12.	एस0303	तीर्थ के लिए यात्रा
13.	एस0304	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा
14.	एस0305	शिक्षा के लिए यात्रा (जिसके अंतर्गत फीस, छात्रावास, व्यय आदि भी है)
15.	एस0401	डाक सेवाएं
16.	एस0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी परियोजनाओंसन्निर्माण जिसके अंतर्गत परियोजना स्थर पर माल का निर्यात भी है
17.	एस0602	माल के आयात और निर्यात से संबंधित—भाड़ा बीमा

18.	एस1011	विदेशी कार्यालय के अनुरक्षण के लिए संदाय
19.	एस1201	विदेशी भारतीय दूतावासों का अनुरक्षण
20.	एस1202	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा प्रेषण
21.	एस1301	कुटुंब भरण पोषण और बचत के मद्दे अनिवासी द्वारा प्रेषण
22.	एस1302	व्यक्तिगत उपहार और दान के मद्दे प्रेषण
23.	एस1303	विदेशी धार्मिक और पूर्त संस्थानों को दान के मद्दे प्रेषण
24.	एस1304	अन्य सरकारी और सरकार द्वारा स्थापित पूर्त संस्थानों को अनुदान और दान के मद्दे
İ		प्रेषण ,
25.	एस1305	अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सरकार द्वारा अभिदाय या दान
26.	एस1306	करों का संदाय या वापसी के मद्दे प्रेषण
27.	एस1501	निर्यात के मद्दे बीजक मूल्य में वापसी या छूट या कटौती
28.	एस1503	अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए निवासियों द्वारा संदाय" ।

3. उक्त नियमों में, उपाबंध 2 में, प्ररूप सं. 15गक और प्ररूप 15गख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

	"प्रारूप सं. 15गक	
आय-कर विभाग	(नियम 37खख देखिए)	अभि. सं.
	किसी अनिवासी जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी को संदाय जो कि कर से	
	ं प्रभार्य है, के लिए दी जाने वाली जानकारी	

भाग क

(यदि प्रेषण पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे प्रेषणों का संकलन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है तो इसे भरा जाए)

ı		
	प्रेषक का नाम	
प्रेषक	प्रेषक का पेन (यदि है)	
	प्रेषक का टेन (यदि है)	
1 22	प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
:	प्रेषक की प्रास्थिति	
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
 E	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पेन	
प्रिषेती	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
	देश का नाम जिसमें प्रेषण होना है ।	
	टीडीएस जो पहले संदत्त राशि, यदि कोई है (भारतीय मुद्रा में)	
	इस प्रस्तावित प्रेषण सहित वित्तीय वर्ष में प्रेषण की संकलित राशि	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम	
प्रेषण	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	
A	प्रेषण की प्रकृति	
	कर कटौतियां—	
	(क) कर कटौती की रकम	
1	(ख) कटौती की तारीख	

सत्यापन									
ਸੈਂ/ਵਸ*	(पूरा नाम	स्पष्ट	अक्षरों	में),	जो	का			
पुत्र/पुत्री(पदनाम) के र	रूप में यह घोषित व	_{हर्} ता हूँ/करते	ा हैं कि उप	रोक्त दी ग	ाई जानकारी मे	ारे सर्वोच्च			
ज्ञान और विश्वास से सत्य है और कोई सुसंगत	जानकारी छिपाई नह	हीं गई है ।	मैं/हम* आय	कर अधिनि	ायम के अधीन	मेरे/हमारे			
दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्त	तावेजों सहित उपरोव	त्त प्रेषण के	प्राप्तकर्ता व	ही आय क	ी प्रकृति और	रकम का			
अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को	स्रोत पर कर की व	न्टोती के लि	ए उत्तरदायी	व्यक्ति के	रूप में समर्थ	बनाने के			
लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन	देता हूँ/देते हैं								
स्थान :	हस्ताक्षर	:							
तारीख :	पदनाम :	:							
*जो लागू न हो उसे काट दें ।									
1. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 दि	नखें, यदि व्यष्टि है त	ो 3 लिखें अ	ौर यदि अन्य	है तो 4 वि	लेखें				

- 2. यदि प्रेषण पर कर प्रभार है तो पेन का न होना, धारा 206 कक के उपबंधों को आकर्षित करेगा ।
- 3. यदि उपलब्ध है ।
- 4. यदि उपलब्ध है।

भाग ख (यदि प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है, या प्रेषण नियम 37 खख में विनिर्दिट सूची के अंतर्गत

ALC:	हता मरा जाए ।)					
खंड र	त साधारण	जानकारी				
	प्रेषक का नाम					
	प्रेषक का पेन	एरिया कोड एओ टाइप रेंज कोड	एओ सं.			
	कारबार का मूल स्थान	प्रेषक का टेन				
प्रेषक	प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	- 				
	प्रास्थिति कंपनी होने की दशा में - "2" लिखें	–यदि घरेलू है तो "1" लिखें और यदि घ	रेलू के अतिरिक्त अन्य कोई है तो			
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	प्रेषण के प्राप्तकर्ता	का पेन			
			1 1 1 1			
4=	प्रास्थिति					
प्रिषिती	पता	जिस देश में प्रेषण किया गया है				
	कारबार का मूल स्थान ई-मेल पता	(आईएसडी कोड)-	(आईएसडी कोड)- दूरभाष संख्या			
		()			
	(क) प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने वाले लेखाकार नाम	का				
1	(ख) लेखाकार के स्वत्वधारी/फर्म का नाम		P-18-1			
लेखाकार	(ग) पता					
	(घ) लेखाकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या	***************************************				
	(ङ) प्रमाण पत्र की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	प्रमाण पत्र संख्या				

भारत	क्रा	ग्रसंघन	असाधारण

	(क)	क्या निर्घारण अधिकारी से आयकर अधिनियम की	धारा (चिन्ह)	🗌 हां 📋	नहीं	
	(. 7	195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश का !	प्रमाण			
		पत्र प्राप्त किया है ।				
- A	(ख)	जिस धारा के अधीन आदेश/प्रमाण पत्र प्राप्त किया	गया			
ए.ओ.आदेश		8				\dashv
त्.ओ	(ग)	आदेश/प्रमाण पत्र जारी करने वाले निर्घारण अधिक	ारी			
- !	-	का नाम और पदनाम				\dashv
	(घ)	आदेश/प्रमाण पत्र की तारीख				
	(ভ)	आदेश/प्रमाण पत्र संख्या				
संदेश र	। यु	प्रेषण और स्रोत पर कर की कटौती की विशिष्टि	टेयां (लेखाकार के प्रमा	ण पत्र के अनुसार)		
	1.	जिस देश में प्रेषण किया गया है	देश :		मुद्रा :	
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :		भारतीय रु. में	
	3.	बैंक का	बैंक की शाखा			
		नाम				
प्रेषण	4.	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकों में)				
1PK	5.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/	वर्ष		
	6	प्रेषण की प्रकृति करार/दस्तावेज के अनुसार		<u> </u>		
	7.	यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या संदेय कर का	(चिन्ह 🗌 हां	नहीं		ļ
		योग किया गया है ?				
	8.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन				
		कराधेयता (डीटीएए पर विचार किए बिना)	Ц			
		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा जिसके अधीन				
नियः		प्रेषण आता हैं				
<u>स</u>	1	(ख) आय की रकम जिस पर कर प्रभार्य है		.*		
आयकर अधिनियम		(ग) कर दायित्व				
अप्र		(घ) कराधेय आय और कर दायित्व अवधारित				
		करने का आधार				
-	9.	यदि आय भारत में कर प्रमार्य है और डीटीएए				
		के अधीन कोई राहत का दावा किया गया है				
		(i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से कर आवास		. —		
		प्रमाण पत्र लिया गया है	(चिन्ह) 🗌	हां 🗌 नहीं		
(3)		(ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट करें]			
(डीर्ट		(iii) कृपया डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद				
सर		विनिर्दिष्ट करें ।	डीटीएए के अनुसा	र संदाय की		
-F		[पानाप्ष्ट पर 1	प्रकृति			
ेप्रत्यक्ष कर परिवर्जन संबंधी करार (डीटीएए)		(iv) कृपया डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	मारतीय रुपए में			
म्			\ <u></u>			
<u>ਜ</u>		(v) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	भारतीय रुपए में	!		
कर			(चिन्ह) हा	ा नहीं 		
다당		अ. यदि प्रेषण स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के	' ' 			
K		लिए फीस, ब्याज, लामांश आदि (स्थायी				
		स्थापन से संबंधित न हो) उपदर्शित करें :	 			
		(क) डीटीएए का अनुच्छेद	। डीटीएए के अनुसार	(%)		
Į	1	(ख) अनुच्छेद के निबंधनों में जो डीटीएए को	il aicidd ar ailluid	(/*/	L	

		लागू होता है की जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर	
		कर की कटौती की दर	
ļ		आ. यदि प्रेषण कारबार की आय की बाबत है	(चिन्ह) ाहां निन्हीं
		तो कृपया उपदर्शित करें :-	
		(क)क्या ऐसी आय भारत में कर प्रभार्य नहीं है	
İ		(ख)यदि हां तो कर की कटौती पर निश्चित	
		करने का आधार	
	j		
		इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ के कारण है तो	(चिन्ह) 📗 हां 📗 नहीं
		कृपया उपदर्शित करें :-	
		(क) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम	
		(ख) अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम	
		(ग) कराधेय आय निर्धारित करने का आधार	
	ļ	ई. उन प्रेषण के मामले में जो उपमद अ,आ	(बिन्ह) 📗 हां 📉 नहीं
		और इ के अंतर्गत न आते हों	
		(क) प्रेषण की प्रकृति को कृपया विनिदिष्ट	
		करें	
		(ख) डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य	
		<u></u>	
		(ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए के ऐसे	
		अनुच्छेद के निबंधनों के अनुसार कटौती किए	
		जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	
		(घ) यदि नहीं, तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त	
		कारण बताएं	
	10.	स्रोत पर कर कटौती की रकम	विदेशी मुद्रा में
			भारतीय रुपए में
恒	11.	प्रत्यक्ष कर कटौती की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%)
कर कटौती			या
१			डीटीएए के अनुसार (%)
प्रत्यक्ष	12.	प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण की वास्तविक	विदेशी मुद्रा में
		रकम	
	13.	स्रोंत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन/मास/वर्ष)

1. 羊 /हम *	(पूरा	नाम	स्पष्ट	अक्षरों	में),	जो	का	पुत्र/पुत्री
हूँ/है सत्यनिठा से यह घोषणा	करता	हूँ/करते	हैं कि	ऊपर दी	गई	जानकारी हमारे	: सर्वोत्तम	ज्ञान और
विश्वास से सही है और कोई सुसंगत जानकारी नहीं छिपाई	गई।	} 1						

- 2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि लेखाकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में, रकम स्रोत पर कर की कटौती की प्रकृति और सत्यता को प्रमाणित करते हुए दी गई है । मैं/हम* आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/105(3)/197 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र/आदेश जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई है, को प्रमाणित करते हैं ।
- .3. यदि जहां यह पाया जाता है कि प्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती योग्य कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती करने के पश्चात् पूर्ण रूप से संदत्त नहीं की गई है तो मैं/हम* यथास्थिति, कटौती किये गए या संदत् न किए गए कर की रकम का,

उस पर शोध्य बयाज सहित संदाय करने का वचन देता हूँ/देते हूँ । मैं/हम* आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उक्त व्यतिक्रम के लिए भी शास्ति के उपबंधों के अधीन रहूगा/रहेंगे ।

- 4. मैं/हम* आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का बचन देता हूं/देते हैं।
- 5. मैं/हम* आगे यह घोाणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम*————की हैसियत में यह जानकारी दे रहा हूँ/रहे हैं और मैं*/हम आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 140 के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी को हस्ताक्षरित करने तथा उसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ/हैं ।

स्थान :

हस्ताक्षर :

तारीख:

पदनाम :

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

all (11 % 1 %) att 1 1 a 4 1		
कार्यालय उपयोग के लिए		सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु
		रसीद सं.
		तारीख
	7	पदघारी के हस्ताक्षर और मुहर
1		

- 1. यदि टेन के लिए आवेदन किया है तो आवेदन की अभिस्वीकृति सं. दीजिए l
- 2. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें
- 3. यदि पेन (स्थायी लेखा संख्या) उपलब्ध नहीं है तो, धारा 206अअ के उपबंध लागू होंगे ।
- 4. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें ।
- 5. लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) का वहीं अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 के स्पटीकरण में परिभाति है।
- 6. कृपया लेखाकार के प्रमाण पत्र में उपदर्शित क्रम संख्या भरें ।

प्ररूप सं. 15गख

(नियम 37खख देखें)

लेखाकार का प्रमाण पत्र

मेंने/हमने* श्री/श्रीमती /मैसर्सहिताधिकारी के	बीच	उपरोक्त
प्रेषण प्रेषक की अपेक्षानुसार करार प्रेषकः (जहां लागू हो) की परीक्षा की है । प्रेषण की प्रकृति प्रेषक को सुनिश्चित	करने	के लिए
अपेक्षित सुसंगत दस्तावेजों और लेखा बहियों के साथ-साथ चार्टर 17-ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर करें	ाती की	दर का
अवधारण करने के लिए परीक्षा कर ली है ।		

हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं :-

зт.	प्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता			
आ.	1. जिस देश में प्रेषण किया गया है	देश:	मुद्रा:	
2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :		भारतीय रु. में.
3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा		
4	बैंक की शाखा का बीएसआर कोर्ड (7 अंकों में)			
5.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/वर्ष		
6.	करार/दस्तावेज के अनुसार प्रेषण की प्रकृति			
7.	यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या संदेय कर का योग किया गया है			

8.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन		
	कराधेयता (डीटीएए पर विचार किए बिना)	ं (चिन्ह) □ हां □ नहीं	
	(क) अधिनियम की सुसंगत धारा जिसके		
	अधीन प्रेषण आते हैं		
	(ख) आय की रकम जिस पर कर प्रभार्य है		
	(ग) कर प्रभार्य		
	(घ) कराधेय आय और कर दायित्व		
	निश्चित करने का आधार		
	7.		
	यदि आय भारत में कर प्रभार्य है और		
9.	डीटीएए के अधीन कोई राहत का दावा		
	किया गया है		
	(i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से कर आवास		
	प्रमाण पत्र लिया गया है	(चिन्ह) 🔲 हां 🔲 नहीं	İ
:	2117 12 10191 141 6	(14/6)	
	(ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट करें		
	(iii) कृपया डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद		
	विनिर्दिष्ट करें	डीटीएए के अनुसार संदाय	
		की प्रकृति	
İ	(iv) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	भारतीय रुपए में	
	(v) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	भारतीय रुपए में	
ļ	27 70 100		
	अ. यदि प्रेषण स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं	(चिन्ह) 🔲 हां 📗 नहीं	
	के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि (स्थायी		
	स्थापन से संबंधित न हो) उपदर्शित करें।		
-	(क) डीटीएए का अनुच्छेद		
	(ख)अनुच्छेद के अंतर्गत जो डीटीएए को	डीटीएए के अनुसार (%)	
	लागू होता है की जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर कर की कटौती की दर		
		(0-)	
	आ. यदि प्रेषण कारबार की आय की बाबत	(चिन्ह) 🗌 हां 🗌 नहीं	
-	है तो कृपया उपदर्शित करें :-		
	(क)क्या ऐसी आय भारत में कर प्रभार्य नहीं है		
	(ख) यदि हां तो कर की कटौती पर		
İ	निश्चित करने का आधार		
	(ग) यदि नहीं तो कृपया डीटीएए के		
	सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए		
	संक्षिप्त में उसके कारण बताएं ।		
	इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ के कारण है	(चिन्ह) 🗌 हां 📗 नहीं	
	तो कृपया उपदर्शित करें :-		
-	(क) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
1.			

	(ख)अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
	(ग) कराधेय आय निर्धारित करने का आधार		
	ई. उन प्रेषण के मामले में जो उपमद अ,	(चिन्ह) 🗌 हां 📗 नहीं	·
	आ और इ के अंतर्गत न आते हों		
	(क) प्रेषण की प्रकृति को कृपया विनिदिष्ट		
	करें		
	(ख) डीटीएए के अनुसार भारत में कर		,
	प्रभार्य है	1	
	(ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए के ऐसे		
	अनुच्छेद के निबंधनों के अनुसार कटौती		
	किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की		
	दर		
	(घ) यदि नहीं, तो कृपया डीटीएए के		
	सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए		
	उसके संक्षिप्त कारण बताएं	,	
10.	प्रत्यक्ष कर कटौती की रकम	विदेशी मुद्रा में	
		भारतीय रुपए में	. `
11.	प्रत्यक्ष कर कटौती की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%)या	
		डीटीएए के अनुसार (%)	
12.	प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण की	विदेशी मुद्रा में	
	वास्तविक रकम		
13.	स्रोंत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई	(दिन/मास/वर्ष)	
	हो		
l	.2		
प्रमाण	पत्र सं ² ,		

हस्ताक्षर:

नाम:

स्वत्वधारी/फर्म का नाम:

पताः 🕝

रजिस्ट्रीकरण सं.:

¹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 299 के स्पटीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।

² प्रमाण पत्र सं. जो एक आंतरिक संदर्भ संख्या है जो लेखाकार द्वारा दिया जाना है !

'जो लागू न हो उसे काट दें"।

[अधिसूचना सं.67/2013/फा. सं. 149/119/2012-एसओ(टीपीएल)]

जे. सारावनन,अवर सचिव

टिप्पण :मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (13वां संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना संख्यांक का.आ.2364(अ) तारीख 5-8-2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2013

INCOME-TAX

- S.O. 2659 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 195 and section 192, section 194B, section 194B, section 194E, section 194LB, section 194LC, section 194LD, section 196B, section 196C, section 196D read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, issued by the Central Board of Direct Taxes vide number S.O.2363(E) dated the 5th August, 2013 published in the Gazette of India, dated the 5th August, 2013, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (14th Amendment) Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of October, 2013.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), for rule 37BB, the following rule shall be substituted, namely:-
- "Furnishing of information by the person responsible for making any payment including any interest or salary or any other sum chargeable to tax, to a non-resident, not being a company, or to a foreign company
- 37BB. (1) Any person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any interest or salary or any other sum chargeable to tax under the provisions of the Act, shall furnish the following.
- (i) the information in Part A of Form No.15CA, if the amount of payment does not exceed fifty thousand rupees and the aggregate of such payments made during the financial year does not exceed two lakh fifty thousand rupees;
- (ii) the information in Part B of Form No.15CA for payments other than the payments referred in clause (i) after obtaining—
- (a) a certificate in Form No. 15CB from an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288; or
- (b) a certificate from the Assessing Officer under section 197; or
- (c) an order from the Assessing Officer under sub-section (2) or sub-section (3) of section 195.
- (2) The information in Form No. 15CA shall be furnished by the person electronically to the website designated by the Income-tax Department and thereafter signed printout of the said form shall be submitted to the authorised dealer, prior to remitting the payment.
- (3) An income-tax authority may require the authorised dealer to furnish the signed printout referred to in sub-rule (2) for the purposes of any proceedings under the Act.
- (4) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture, transmission of data and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner specified.
- Explanation 1.— For the purposes of this rule, 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
- Explanation 2.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that for payments of the nature specified in column (3) of the specified list below, no information is required to be furnished under sub-rule (1).

SPECIFIED LIST

Sl. No. (1)	Purpose code as per RBI	Nature of payment
	(2)	(3)
1	S0001	Indian investment abroad -in equity capital (shares)
2	S0002	Indian investment abroad -in debt securities
3	S0003	Indian investment abroad-in branches and wholly owned subsidiaries
4	S0004	Indian investment abroad -in subsidiaries and associates
5	S0005	Indian investment abroad -in real estate
6	S0011	Loans extended to Non-Residents
7	S0202	Payment for operating expenses of Indian shipping companies operating abroad.
8	S0208	Operating expenses of Indian Airlines companies operating abroad
9	S0212	Booking of passages abroad - Airlines companies
10	S0301	Remittance towards business travel.
11	S0302	Travel under basic travel quota (BTQ)
12	S0303	Travel for pilgrimage
13	S0304	Travel for medical treatment
14	S0305	Travel for education (including fees, hostel expenses etc.)
15	S0401	Postal services
16	S0501	Construction of projects abroad by Indian companies including import of goods at project site
17	S0602	Freight insurance-relating to import and export of goods
18	S1011	Payments for maintenance of offices abroad
19	S1201	Maintenance of Indian embassies abroad
20	S1202	Remittances by foreign embassies in India
21	S1301	Remittance by non-residents towards family maintenance and savings
2 2	S1302	Remittance towards personal gifts and donations
23	S1303	Remittance towards donations to religious and charitable institutions abroad
24	S1304	Remittance towards grants and donations to other governments and charitable institutions established by the governments.
25	S1305	Contributions or donations by the Government to international institutions
26	S1306	Remittance towards payment or refund of taxes.
27	S1501	Refunds or rebates or reduction in invoice value on account of exports
28	S1503	Payments by residents for international bidding".

3. In the said rules, in Appendix-II, for Form No.15CA and Form No. 15CB, the following Forms shall be substituted, namely:

outstanding manager.		
Income-Tax Department	"FORM NO. 15CA (See rule 37BB) Information to be furnished for payments, chargeable to tax, to a non-resident not being a company, or to a foreign company	Ack. No.

Part A (To be filled up if the remittance is chargeable to tax and does not exceed fifty thousand rupees and the aggregate of such remittances made during the financial year does not exceed two lakh fifty thousand rupees)

REMITTER	Name of remitter				
	PAN of the remitter (if available)				
	TAN of the remitter (if available)				
	Complete address, email and phone number of the remitter				
	Status of remitter'				
===	Name of recipient of remittance				
II	PAN of the recipient of remittance, if available ²				
REMITTEE	Complete address, email ³ and phone number ⁴ of the recipient of remittance				
₹	Country to which remittance is made				
	Amount payable before TDS (In Indian Currency)				
	Aggregate amount of remittance made during the financial year including this proposed				
3	remittance				
ž	Name of bank				
Y	Name of the branch of the bank				
111	Proposed date of remittance				
REMITTANCE	Nature of remittance				
~	Tax deducted				
	(a) Amount of tax deducted				
	(b) Date of deduction				

	VERIFICATION
1/We*,_	(full name in block letters), son/daughter ofin the capacity
of	lesignation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my knowledge and
helief ar enabling remittan	relevant information has been concealed. I/We* further undertake to submit the requisite documents for income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above well as documents required for determining my liability under the Income-tax Act as a person responsible of tax at source.
tor acad	of tax at source,
Plac	Signature:
Date	Designation:
* Delete	hever is not applicable.
Write	ompany, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.
If the r If avai	ance is chargeable to tax, non-furnishing of PAN shall attract the provisions of section 206AA
⁴ If avail	

Part B
(To be filled up if the remittance is chargeable to tax and exceeds fifty thousand rupees and the aggregate of such remittances made during the financial year exceeds two lakh fifty thousand rupees.)

Section	on A	GENERAL INFO	ORMATION			
	Name of the remitter					
~	PAN of remitter		Area Code	AO Type	Range Code	AO No
REMITTER	Principal Place of Busine	SS	TAN of remi	tter'		
	Complete address, email remitter	and phone number of the				<u> </u>
	Status ³	In case of company - If d	omestic, write 'I	' and if other t	han domestic.	write '2'

		Name of recipient of remittance				PAN or remitt					of recipient of tance ⁱⁱⁱ ,						
TEE	}	Status ^{iv}										_i	<u>l</u>		<u> </u>		_
REMITTEE		Address									Cou	intry	to which remittance is made:				
	-	Prin	cipal place of business		Email address (ISD co							code)-Phone Number					
ACCOUNTANT		(a)	Name of the Account	ant ^v signing	g the	certifi	cate	<u> </u>						/			
		(b)	Name of the proprieto	orship/firm	of th	ie acco	untan	t									
Ş		(c)	Address	 		•											
ACCC		(d)	Registration no. of the	e accountar	nt							•					
	-	(e)	Date of certificate (D	D/MM/YY	YY)				Certifi	cat	e No.vi	_					
~		(a)	Whether any order/co of Income-tax Act has Assessing Officer.	s been obtai	ined	from t	he	197	(Tick)		_	Yes		No			
A.O. ORDER		(b)	Section under which obtained	order/eertifi	icate	has be	en										
		1	Name and designation issued the order/certif		sessir	ng Offi	icer w	ho									
	-	(d)	Date of order/certifica	ite													
		(e)	Order/certificate num	ber													
Sect	ion	В	PARTICULA	ARS OF RE	EMIT	TANG	E AN	OT O	S (as	per	certific	ate o	fthe	accou	ntant))	
	1.		Country to which re	emittance	is	Counti	ry:						Curr	ency:		٠	
	2.				-	In foreign currency:					In Indian Rs.						
ш	3.	1	Name of the Bank		1	Brancl	of th	e Banl	ζ						•		
REMITTANCE	4.	- 1	BSR Code of the ban	k branch ((7												
11.1	5.	I	Proposed date of remitta	ance	7	(DD/N	IM/Y	YYY)									
REN	6		Nature of remittand agreement/ document	e as pe	er				<u>-</u> .								
	7.	t	n case the remittanc axes, whether tax paya grossed up?		- 1	(Tick)		Y	es 🔲	N	40 🔲						
-	8.	t	Taxability under the pr he Income-tax Act (wit considering DTAA)					-: •		-							
T.ACT		ì	a) the relevant section inder which the re covered				<u> </u>										
T.1		1 \	b) the amount chargeable to tax	of incom	ne												
			c) the tax liability														
			d)basis of determin ncome and tax liability		le												
<i>*</i>	9.		f any relief is cla DTAA-	imed unde	er												
DIAA		i	 i) whether tax residence s obtained from the emittance 			(Tick)				Ye	s 🔲	No					

		(ii) please specify relevant DTAA		
		(2)		
	İ	(iii) please specify relevant article of DTAA		
			Nature of payment as per DTAA	
	ļ.	(iv) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.	
		(··) small de per 2 1111		\
	:	(v) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.	
		16.1		
		A. If the remittance is for royalties, fee for technical services, interest,	(Tick) Yes No	
		dividend, etc.,(not connected with		
		permanent establishment) please		
		indicate:-		
		(a) Article of DTAA		·
		(b) Rate of TDS required to be deducted in terms of such article of	As per DTAA (%)	
		the applicable DTAA	,	
		B. In case the remittance is on	(Tick) Yes No	
		account of business income, please	(100)	
	ĺ	indicate:-		
		·	·	
		(a) The amount of income liable to	Ĩ.	
		tax in India		
		(h) The basis of animing of the		,
		(b) The basis of arriving at the rate of deduction of tax.		
				!
		C. In case the remittance is on	(Tick) Yes No	
		account of capital gains, please		
		indicate:-		
	į	(a) amount of long term capital gains		
	ļ	(b) amount of short-term capital gains		
		(c) basis of arriving at taxable income		
		D. In case of other remittance not covered by sub-items A,B and C	(Tick) Yes No No	
		(a) Please specify nature of remittance		
		(b) Whether taxable in India as per DTAA		
		(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of		
		the applicable DTAA		
		(d) if not, please furnish brief reasons thereof specifying relevant article of DTAA		
	10.	Amount of tax deducted at source	In foreign currency	
TDS			In Indian Rs.	
	11.	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%)	

		or	
		As per DTAA (%)	
12.	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency	
13.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)	

		VERIFICATION					
 I/We*,							
2.	certifying the amoun	ertificate has been obtained from an accountant, particulars of which are given in this Fo nature and correctness of deduction of tax at source./ I/We* certify that certificate/order un 97 of the Income-tax Act, 1961, particulars of which are given in this Form*.					
3.	In case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I/We* undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be along with interest due. I/We* shall also be subject to the provisions of penalty for the said default as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.						
4.	nature and amount of	ke to submit the requisite documents for enabling the Income-tax Authorities to determine income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determine the Income-tax Act, 1961 as a person responsible for deduction of tax at source.	the ing				
5.	l/We* further declar competent to sign the	that I/we* am/are* furnishing this information in my/our* capacity as and I/we* am/are* atturn of income as per provisions of section 140 of the Income-tax Act, 1961 and verify it.	also				
	Place:	Signature:					
	Date:	Designation:					
*D	clete whichever is not	plicable.					
Fo	r Office Use only	For Office Use Only					
		Receipt No.					
		Date					
-		Seal and Signature of receiving official					

- i In case TAN is applied for, please furnish acknowledgement number of the application.
- ii Write 1 if company, Write 2 if firm, Write 3 if individual and Write 4 if others.
- iii In case of non-availability of PAN, provisions of section 206AA shall be applicable.
- iv Write I if company, Write 2 if firm, Write 3 if individual and Write 4 if others.
- v Accountant (other than an employee) shall have the same meaning as defined in the Explanation to Section 288 of Income-tax Act, 1961.
- vi Please fill the serial number as mentioned in the certificate of the accountant.

3791 GI/13-5

		Form 1	No. 15CB	
		(See ru	le 37BB)	
		Certificate of	an accountant	
1/\	We* hav	we examined the agreement (wherever applicable)	between	
		√A/s*And M		
		(Remitters)	(Beneficiary)	
пан	iure of i	the above remittance as well as the relevant de- remittance and for determining the rate of deduction	ocuments and books of accou	int required for ascertaining the isions of Charter- XVII-B.
		certify the following:-		
A	Name	e and address of the beneficiary of the remittance		-
В	1.	Country to which remittance is made	Country:	Currency:
	2.	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.
	3.	Name of the bank	Branch of the bank	in fildfall KS.
	4.	BSR Code of the bank branch (7 digit)	State of the dallic	
	5.	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)	
	i 6	Nature of remittance on nor comment	(==::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

document 7. In case the remittance is net of taxes, whether (Tick) Yes No tax payable has been grossed up? 8. Taxability under the provisions of the Income-tax Act (without considering DTAA) (a) the relevant section of the Act under which the remittance is covered (b) the amount of income chargeable to tax (c) the tax liability (d)basis of determining taxable income and tax liability 9. If any relief is claimed under DTAA-(i) whether tax residency certificate is obtained from the recipient of remittance (Tick) ☐ Yes ☐ No (ii) please specify relevant DTAA (iii) please specify relevant article of DTAA Nature of payment as per DTAA(iv) taxable income as per DTAA In Indian Rs. (v) tax liability as per DTAA In Indian Rs. A.If the remittance is for royalties, fee for (Tick) ☐ Yes ☐ technical services, interest, dividend, etc,(not connected with permanent establishment) please indicate:-(a) Article of DTAA (b) Rate of TDS required to be deducted in As per DTAA (%) terms of such article of the applicable DTAA B. In ease the remittance is on account of (Tick) Yes No business income, please indicate:-(a) The amount of income liable to tax in India

(b) The basis of arriving at the rate of

	C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) Yes No	
	(a) amount of long term capital gains		
	(b) amount of short-term capital gains		
	(c) basis of arriving at taxable income		
	D. In case of other remittance not covered by sub-items A,B and C	(Tick) Yes No	
	(a) Please specify nature of remittance		
	(b) Whether taxable in India as per DTAA		
	(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA		
	(d) if not, the please furnish brief reasons thereof specifying relevant article of DTAA		
0.	Amount of TDS	In foreign currency	
		In Indian Rs.	
1	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%) or As per DTAA (%)	
2	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency	
3.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)	
icate	e No. ² Signat	ure :	
	•		
	Name		

Certificate No. ²	1			

Address:

Registration No.:

[Notification No. 67/2013/F.No.149/119/2012-SO(TPL)]

J.SARAVANAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 11, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26thMarch, 1962 and last amended by the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2013, vide notification number S.O.2331 (E), dated the 5th August, 2013.

^{1.} To be signed and verified by an accountant (other than an employee) as defined in the Explanation below subsection (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

² Certificate number is an internal number to be given by the Accountant.

^{*} Delete whichever is not applicable. ".